

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 790/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री प्रहलाद शर्मा।

:: आदेश ::

10.09.2018

नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी दो सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

अभिलेख तलब किया जावे।

स्थगन प्रार्थना पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों एवं मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अन्तिम डिक्री के क्रम में विधि अनुसार कार्यवाही जारी रखने को स्वतंत्र है, लेकिन अन्तिम डिक्री बनाये जाने के क्रम में आदेश, इस अपील की आगामी सुनवाई तिथि से पूर्व पारित नहीं करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-